छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

खण्ड पीठ

पीठ :- **माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधिपति**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

एम. ए. सी. संख्या 101/2008

अपीलकर्ता :- **1. कन्हैया लाल साहू पुत्र घुरखन लाल साहू, आयु लगभग 43 वर्ष, व्यवसाय शून्य।**

2. श्रीमती परदेशिन बाई, पत्नी कन्हैया लाल साहू, आयु लगभग 39 वर्ष, व्यवसाय शून्य।

3. हिरवंतिन बाई पिता कन्हैया लाल साहू, आयु लगभग 23 वर्ष व्यवसाय शून्य।

4. कु. टिकेश्वरी, पिता कन्हैया लाल साहू, आयु लगभग 14 वर्ष, व्यवसाय शून्य।

5. कु. पार्वती बाई ,पिता कन्हैया लाल साहू, आयु लगभग 9 वर्ष, व्यवसाय शून्य।

अपीलकर्ता संख्या 4 और 5 नाबालिग है द्वारा एवं संरक्षक कन्हैया लाल साहू।

सभी निवासी ग्राम खपरीकला, तहसील एवं जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी :- **1. अब्दुल वाहिद खान ,पिता न मालूम, उम्र लगभग 35 वर्ष,**
वाहन चालक द्वारा , श्याम लाल साहू के, पिता मलेश रामसाहू,
निवासी। 19/8 उत्तर गंगोत्री, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) ।
2. श्याम लाल साहू पिता महेश राम साहू, व्यवसाय ट्रांसपोर्टर निवास
19/8, उत्तर गंगोत्री, सुपेला, सेंट्रल बैंक के पीछे भिलाई, ट्रांसपोर्ट नगर,
रायपुर मद्रास रोड लाइन्स, हथखोज, भिलाई जिला, दुर्ग। ।
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा
कार्यालय, कामटी लाइन, राजनांदगांव (छ.ग.) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपील

उपस्थित :

श्री वी.के. शर्मा, अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के लिए कोई अधिवक्ता नहीं, यद्यपि तामील हो चुका है।

श्रीमती मीरा जायसवाल, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की विद्वान अधिवक्ता।

श्री राज अवस्थी, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

(दिनांक -18/09/2009)

मुख्य न्यायाधीश राजीव द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

1. **यह दावेदार द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजनांदगांव (संक्षेप में, 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण संख्या 163/2007 में पारित दिनांक 17.11.2007 के निर्णय के अनुसार दिए गए प्रतिकार को बढ़ाने की अपील है।**
2. **मृतक राकेश कुमार साहू की मृत्यु के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर करके, अपीलकर्ताओं/दावेदारों, उनके दुर्भाग्यपूर्ण माता-पिता और बहनों द्वारा दावा किए गए 30,00,000/- रुपये के प्रतिकार के विरुद्ध, न्यायाधिकरण ने 07.07.2005 को हुई मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए, दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल 1,32,000/- रुपये प्रतिकार के रूप में प्रदान किया गया है ।**
3. **अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. शर्मा ने निवेदन किया है कि न्यायाधिकरण ने मृतक की आय के बारे में दावेदारों के साक्ष्य को स्वीकार न करने और उसकी आय 800 रुपये प्रति माह निर्धारित करने; मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 300 रुपये प्रति माह की कटौती करने; और केवल 1,32,000 रुपये का कम मुआवजा देने में त्रुटि की है।**
4. **प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राज अवस्थी ने, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, इस निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि चूँकि दावेदार मृतक की आय को स्थापित नहीं कर सके, जैसा कि उन्होंने दलील दी थी, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया 1,32,000/- रुपये का प्रतिकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायसंगत और उचित प्रतिकार है।**
5. **प्रत्यर्थी क्रमांक 2 श्याम लाल साहू, जो कि दुर्घटना करीत करने वाला वाहन के मालिक हैं, की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मीरा जायसवाल ने भी अधिनिर्णय का समर्थन किया।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. चूँकि प्रत्यर्थीगण ने इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि मृतक राकेश कुमार साहू की मृत्यु 07.07.2005 को हुई मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना करीत करने वाला वाहन ट्रक के चालक की तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी, और दुर्घटना करीत करने वाला वाहन ट्रक का बीमाकर्ता दावेदारों को प्रतिकार देने के लिए उत्तरदायी था, अब अंतिम रूप ले चुके हैं। इसके अलावा, इस अपील में इन निष्कर्षों को हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, हम न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

7. यह सही है कि दावेदारों ने अभिवाक किया गया है कि मृतक राकेश कुमार साहू 1,500 रुपये मासिक वेतन और 100 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता कमाते थे, इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य निर्णायक प्रकृति के नहीं थे। मृतक के नियोक्ता द्वारा अपनाए गए रुख से मृतक की आय के बारे में गंभीर संदेह पैदा हुआ, जो उनके द्वारा अभिवाक किये गये सीमा तक थी। इसलिए, हमें मृतक की आय के बारे में वादी के साक्ष्य को खारिज करने के न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं लगता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. फिर भी, मृतक की आय, जो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की गई है 800 रुपये प्रति माह, निश्चित रूप से कम है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

9. मृतक की आय के बारे में दावेदारों के साक्ष्य को खारिज करते हुए, न्यायाधिकरण को उसकी आय का आकलन मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दूसरी अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर करना चाहिए था।

10. वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में 15000/- रुपये की काल्पनिक आय निर्धारित की गई थी। वर्तमान मामले में दुर्घटनावर्ष 2005 में हुई थी जिसमें मृतक राकेश कुमार साहू की मृत्यु हुई।

11. अधिनियम की धारा 163-ए, जिसके अंतर्गत दूसरी अनुसूची वर्ष 1994 में प्रस्तुत की गई थी, इस प्रकार है:-

"(163 ए, संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान- (i) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जो वर्तमान में लागू है या कानून का बल रखने वाले साधन में है, मोटर वाहन का मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, प्रतिकार देने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी विकलांगता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(ii) उप-धारा (1) के अंतर्गत मुआवजे के किसी भी दावे में, दावेदार को यह अभिवचन या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य, समझौते या चूक के कारण हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) केंद्र सरकार, जीवन-यापन की व्यय को ध्यान में रखते हुए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

12. **अधिनियम की धारा 163-ए की उपर्युक्त उपधारा (3) केंद्र सरकार को जीवन-यापन की व्यय को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर दूसरी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार देती है।**
13. **चूँकि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 163-ए की उपधारा (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार दूसरी अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, इसलिए न्यायालय /अधिकरण वर्ष 1994 में दूसरी अनुसूची के लागू होने और दिए गए मामले में दुर्घटना की तारीख के बीच की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन-यापन की व्यय में वृद्धि का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं।**

14. अब, वर्तमान मामले पर लौटते हुए, वह दुर्घटना जिसमें मृतक राकेश कुमार साहू की मृत्यु हुई, वर्ष 2005 में हुई थी। यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और वर्ष 1994 और 2005 के बीच की अवधि के दौरान जीवन-यापन की खर्चे को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में दूसरी अनुसूची में निर्धारित 15,000 रुपये की कल्पनिक आय वर्ष 2005 में निश्चित रूप से 36,000 रुपये हो जाएगी। इसलिए, हम मृतक की आय 36,000 रुपये प्रति वर्ष मानकर प्रतिकार की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

15. यह देखते हुए कि मृतक राकेश कुमार साहू दुर्घटना की तिथि पर अविवाहित थे और विवाह के बाद, माता-पिता और बहनों के लिए उनका योगदान काफी कम हो जाता, हम मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 36,000/- रुपये का 50% कटौती करना उचित समझते हैं। इसलिए, दावेदारों की निर्भरता 18,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी गई है।

16. चूँकि दावेदार मृतक के माता-पिता और बहनें हैं; हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में 10 का गुणक उपयुक्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम लक्ष्मण अय्यर एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए, जो (2003) 8 एससीसी 731 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें यह माना गया है कि उन मामलों में जहाँ दावेदार मृतक के माता-पिता हैं, गुणक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

17. 18,000/- रुपये की वार्षिक आश्रित राशि को 10 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकार 180,000/- रुपये होता है। दावेदार इसके अतिरिक्त 5,000/- रुपये अंतिम संस्कार व्यय के लिए और 5,000/- रुपये संपत्ति के नुकसान के लिए प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, दावेदार, मृतक राकेश कुमार साहू की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए प्रतिकार के रूप में कुल 1,90,000/- रुपये प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

18. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पक्षकारों के बीच उस अवधि के बारे में किसी भी संभावित विवाद से बचने के लिएजिस अवधि के लिए दावेदार प्रतिकार की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं, प्रतिकार की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की राशि इस अपील में निर्धारित की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान मामले में दुर्घटना, जिसमें मृतक राकेश कुमार साहू की मृत्यु हुई, वर्ष 2005 में हुई थी; दावेदारों ने वर्ष 2005 में दावा याचिका दायर की थी; आक्षेपित अधिनिर्णय न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में पारित किया गया था; वर्तमान मुआवज़े में वृद्धि के लिए अपील अपीलकर्ताओं द्वारा वर्ष 2008 में दायर की गई थी; और अपील का अंतिम रूप से निर्णय वर्ष 2009 में किया जा रहा है। दावा याचिका और वर्तमान अपील के निराकरण विलम्ब में देरी सहित सभी सुसंगत कारकों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में विलम्ब के लिए अकेले बीमा कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, हम 58,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकार की राशि पर ब्याज की राशि 5,000/- रुपये निर्धारित करते हैं।

20. उपरोक्त कारणों से, अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा प्रतिकार वृद्धि के लिए दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अधिनिर्णय 1,32,000/- रुपये के मुआवज़े को बढ़ाकर 1,90,000/- रुपये कर दिया गया है, साथ ही 58,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकार की राशि पर 5,000/- रुपये का अतिरिक्त ब्याज भी लगाया गया है।

21. प्रत्यर्थी क्रमांक 3, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, को संबंधित दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कुल राशि 68,000/- रुपये जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है। (58,000/- रुपये प्रतिकार की वृद्धि राशि +राशि 5000 प्रमाणित प्रतिकर राशि के ब्याज के रूप में जमा किये जाने के लिए तीन माह का समय प्रदान किया जाता है.

22. वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS MITA TANDIA ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur